न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार, (RAS)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 60/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.महिपाल कुराडा पुत्र श्री बलवन्त राम कुराडा निवासी गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर		01.विनय लोहिया पुत्र श्री ओमप्रकाश लोहिया जाति माहेश्वरी निवासी मकान नम्बर 136 सेक्टर बी कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार योजना जोधपुर 02.ओमाराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई 03.खम्मूराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोइ 04.गवरी पत्नि श्री पुछोगाराम जाति विश्नोई सभी निवासीगण गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर 05.भूमि धारी सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।

01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता देवीसिह भाटी उपस्थित।

02.अप्रार्थी सख्या 01 की ओर से अधिवक्ता अनोपसिह सोलकी।

03.अप्रार्थी सख्या 02 से 04 की ओर से अधिवक्ता ईश्वरसिह चम्पावत।

निर्णय दिनांक 2/8/2022

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद गस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 309 रकबा 13.2656 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के सामलाती खातेदारी मे दर्ज है जिसके प्रार्थी का 1/15 हक हिस्सा, है सम्पूर्ण कृषि भूमि सामलाती खातेदारी मे दर्ज है बंटवारा तरमीम किया हुआ नही है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 10 ने अन्य सहखातेदारी से उनका हिस्सा खरीद किया है प्रार्थी को बेचानकर्तागण ने जहॉ उनका कब्जा था वहॉ कब्जा सुपुर्द कर दिया लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 एक राय होकर प्रार्थी को उसके खरीदसुदा, खातेदारी कृषि भूमि के हक हिस्से से अवैध रूप से बेदखल करने को आमादा है इसलिए ता फैसला मूलवाद, वादग्रस्त भूमि पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति रखी जाने व किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नही किया जाना का आदेश अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण 2 से 4 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के विरूद्व किया तथा यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण अजनबी क्रेता है उसे रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश प्राप्त करने का कोई हक, अधिकारी नही है तथा न ही वो उक्त प्रार्थना–पत्र का मूलवाद उनके विरूद्व प्रस्तुत करने का कोई अधिकार रखते है अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस करते हुये प्रार्थना–पत्र का विरूद्व किया प्रार्थी ने अपने बहस के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल की नजिर RRT 2020{2} पेश किये तथा अप्रार्थीगण की ओर से भी माननीय राजस्व मण्डल की नजिर RRT 2012{2} है पेश की तथा प्रार्थी की ओर से यह भी तथ्य रखे कि वादग्रस्त भूमि पर अधिकारो क मध्य भारी विवाद है अप्रार्थीगण एक राय होकर उपरोक्त प्रार्थी को बेदखल कर्ने पक्का निर्माण कर मौके की स्थिति को बदलना चाहते है इस बाबत प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य पुलिस मे मुकदमा दर्ज होकर लम्बित है।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है कि उक्त भूमि संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही हुआ है इस कारण प्रत्येक इंच इंच भूमि पर सभी सहखातेदारो का हक व हिस्सा बनता हैं। प्रार्थी स्वय उक्त भूमि का केता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 रेर्काडेड खातेदार है इस कारण रेर्काडेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो विन्दु प्रथम दृष्टिया मामला सुविधा का सन्तुलन व इरिपेवल लोस पक्ष मे नही बनते है।

अतः–उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्याय संगत प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner